LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 118/2 OF VILLAGE NANDRA KHURD DIST. JODHPUR

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	3882.85	59.87 %
PARK	645.36	09.95 %
M.T./ S.W.D.	37.39	00.58 %
ROAD	1920.00	29.60 %
TOTAL SCHEME AREA	6485.60	100.00 %
Area in Bigha. = 3 Bigha , 7 Bishwa		

Scale:-1"=50'

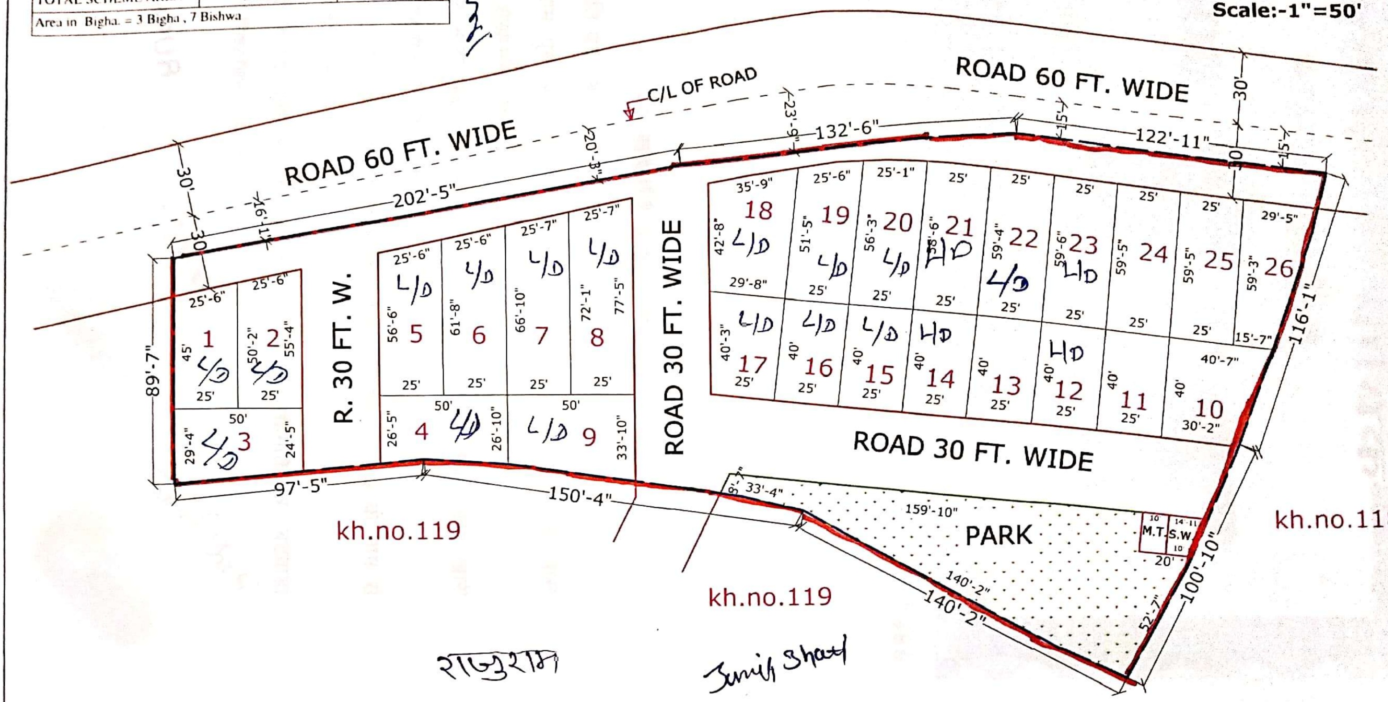

राजुराम

Sunil Shat

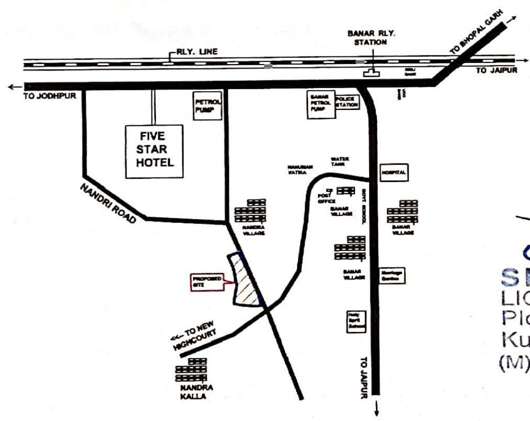

दि. 12/11/21 को भौतिक सत्यापित प्लान से प्रस्तुत प्लान का मिलान कर लाल स्याही से मार्क A से D किया गया

8/4/22

प्रवीण आशिया
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

पृथ्वीराज

SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/M/D-2,
Plot No. 66, Laxmi Vihar,
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333

JDA/Dir(P)/East/505
28/08/2022

एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पूर्व	नान्दडा खुर्द	118/2 (नया खसरा संख्या 118/3)	04.12.00 बीघा में से 03.07.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री राजुराम पुत्र श्री घेवरराम एवं श्री सुनिल भाटी पुत्र श्री फुसाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 118/2 (नया खसरा संख्या 118/3) रकबा 04.12.00 बीघा में से 03.07.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है। अतः सडक मध्य से 9 मीटर भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

04/04/2022
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

8/4/22
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner